

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4613

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पीएम-जनमन के तहत बिजली कनेक्शन

4613. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत सभी वंचित घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश राज्य में इसके कार्यान्वयन की वर्षवार और जिलावार स्थिति क्या है;
- (ग) क्या इसके अंतर्गत परियोजनाओं में समय और लागत में कोई वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) यदि कोई विलंब हुआ है तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(**श्री श्रीपाद नाईक**)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार मौजूदा संबंधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत सभी छोटे हुए अविद्युतीकृत घरों के लिए ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयू (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों और जहाँ भी संभव हो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवारों के लिए स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। पीएम-जनमन के अंतर्गत, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार 1,27,987 घरों को ऑन-ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 332 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता के साथ 522 करोड़ रुपये की धनराशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य योजना के अंतर्गत गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में 16,946 पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक 1,25,130 पीवीटीजी के घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य में विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत कुल 24,967 घरों में से अब तक 24,925 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम-जनमन की जिलावार और वर्षवार स्थिति अनुबंध पर दी गई है।

(ग) और (घ) : पीएम-जनमन के तहत स्वीकृत सभी घरेलू विद्युतीकरण कार्य मार्च, 2026 तक पूरे किए जाने हैं और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अब तक समय या लागत में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4613

अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम-जनमन की जिलावार स्थिति

| क्रम सं. | जिले का नाम | घरों की स्वीकृत संख्या | दिनांक 13.08.2025 तक विद्युतीकृत घर |
|----------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | श्रीकाकुलम | 828 | 851 |
| 2 | विजयनगरम | 150 | 99 |
| 3 | पार्वतीपुरमण्यम | 3,407 | 3400 |
| 4 | अल्लूरी सीताराम राजू | 17493 | 17,270 |
| 5 | पूर्वी गोदावरी | 4 | 39 |
| 6 | काकीनाडा | 9 | 9 |
| 7 | एलुरु | 1,196 | 1,196 |
| 9 | अंकापल्ली | 0 | 160 |
| 10 | गुंटूर | 772 | 770 |
| 11 | प्रकाशम | 982 | 982 |
| 12 | नांदयाल | 126 | 149 |
| | कुल | 24,967 | 24,925 |

आंध्र प्रदेश में विद्युतीकृत घरों का वर्ष-वार विवरण (दिनांक 13.08.2025 तक):

| यूटिलिटी | विद्युतीकृत घरों की संख्या | | | |
|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|--------|
| | 2023-24 | 2024-2025 | वित्त वर्ष 2025-26 | कुल |
| एपीसीपीडीसीएल | | 1,752 | 0 | 1,752 |
| एपीईपीडीसीएल | 17,199 | 5,587 | 238 | 23,024 |
| एपीएसपीडीसीएल | | 149 | 0 | 1,49 |
| कुल | 17,199 | 7,488 | 238 | 24,925 |
